दिल्ली नगर निगम के लिए वित्तीय सहायता की सिफारिश करने के लिए नियुक्त आयोग की सिफारिश

461. **श्री विजय कुमार मल्होत्रा :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली नगर निगम की वित्तीय सहायता की उपलब्धता पर विचार करने के लिए नियुक्त मोरारका आयोग की किन सिफारिशों को सरकार ने स्वीकार किया था; और

(ख) शेष सिफारिशें स्वीकार न करने के क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री घनिक लाल मण्डल) : (क) और (ख). सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जायेगी ?

Severance of India's link with the non-aligned news pool

462. SHRI M. N. GOVINDAN NAIR: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) whether India's link with the non-aligned news pool has been severed following the Posts and Telegraphs Department's discontinuance of international telex services to Samachar;

(b) if so, what are the details thereof and the reasons for the discontinuance;

(c) whether Government propose to restart the news pool service solving the problem; and

(d) if not, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI L. K. ADVANI): (a) No, Sir.

(b) to (d). Do not arise.

Abolition of Commission for S.C. and S.T.

463. SHRI KUSUMA KRISHNA MURTHY : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether almost all the Members of Parliament from Scheduled Castes and Tribes irrespective of their party affiliations have voiced in the Parliament and also given a signed representation to him against the abolition of the existing Commission for Scheduled Castes and Scheduled Tribes and the amalgamation of this Commission with the proposed Civil Rights Commission which would undoubtedly destroy the basic structure and the fundamental objective of the Commission for Scheduled Castes and Scheduled Tribes ;

(b) whether he has taken this into consideration; and

(c) if so, whether the Commission for Scheduled Castes and Scheduled tribes is being retained without effecting any change whatsoever ?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI CHARAN SINGH) : (a) to (c). A decision, in principal, to set up a Civil Rights Commission has been taken by the Government to ensure that the minorities, scheduled castes, scheduled tribes and other backward classess do not suffer from discrimination or in-equality. Some suggestions and representations have been received from Hon'ble Members of Parliament and other representatives of SC & ST's. All these would be duly considered by the Government before arriving at a final decision.

दिल्ली में प्रति दिन चलने वाली दिल्ली परिवहन निगम और प्राइवेट बसों की संख्या

464. **श्री युवराज :**
श्री ओम प्रकाश त्यागी :

क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय दिल्ली परिवहन निगम और निजी चालकों द्वारा यात्रियों के लिए प्रतिदिन बसें चलायी जा रही हैं और यदि हां, तो दिल्ली परिवहन निगम और निजी बसों की संख्या क्रमशः कितनी है;

(ख) क्या भारी संख्या में यात्री प्रति दिन बसों में यात्रा करते हैं और यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है;

(ग) क्या मंत्रालय द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार अगर बसों की वर्तमान क्षमता में वृद्धि नहीं की जाती है, तो मार्च, 1978 तक सात लाख अतिरिक्त यात्रियों की बसें सुलभ नहीं होंगी; और

(घ) यदि हां, तो कितनी और बस चलाने का प्रस्ताव है और वे कब तक चलाई जायेंगी ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में प्रभारी राज्य मंत्री (श्री चांद राम) : (क) जी, हां। अक्तूबर मास, 1977 के दौरान दिल्ली परिवहन निगम ने औसतन प्रतिदिन 1558 बसें चलाईं। उसी अवधि के दौरान किलोमीटर दूरी पर चलने वाली प्राइवेट बसों की संख्या 300 थी । इसके अलावा दिल्ली परिवहन निगम के पास अपनी "प्रशासनिक तथा परिचालनात्मक नियंत्रण प्रभार" योजना के अन्तर्गत 123 मानक आकार तथा 253 मिनी बसें थीं ।

(ख) अक्तूबर, 1977 के दौरान औसतन किलोमीटर योजना के अन्तर्गत लगायी गयी प्राइवेट बसों सहित दिल्ली परिवहन निगम की बसों में प्रतिदिन 21.50 लाख यात्रियों ने सफर किया। इसमें ए०ओ० सी० सी० योजना के अन्तर्गत परिचालित दिल्ली परिवहन निगम परिचालन के अन्तर्गत प्राइवेट बसों में सफर करने वाले यात्रियों की संख्या शामिल नहीं है ।

(ग) यह स्थिति टाऊन तथा कन्ट्री प्लानिंग संगठन द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार होगी ।

(घ) निगम का मार्च, 1978 के अन्त तक 162 नई बसें खरीदने का प्रस्ताव है। इससे राजधानी में मौजूदा परिचालित निजी बसों के अतिरिक्त 500 निजी बसों को लगा कर बस सेवा को उन्नत करने का भी निश्चय किया है इसके अलावा 280 बसों को वापिस सड़क पर लाने के लिए, जो कि कर्मशाला की मरम्मत के कारण रुकी रही, एक तुरन्त कार्यक्रम आरम्भ किया है । इससे निगम की मार्च, 1978 के अन्त तक सड़क पर बसों की संख्या बढ़ कर 2344 हो जायेगी तथा प्रतिदिन 26 लाख यात्री सफर कर सकेंगे । इसके अलावा दिल्ली परिवहन निगम की ए०ओ०सी० सी० योजना के अन्तर्गत परिचालित मानक आकार तथा मिनी बसों द्वारा प्रतिदिन लगभग 3 लाख यात्रियों के सफर करने की संभावना है । इस प्रकार पूरी आवश्यकताओं को पूरा करना संभव हो सकेगा ।

Adverse effect of Import of Power Generation Equipment on BHEL

465. SHRI D. D. DESAI : Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state :

(a) whether Government are aware of the criticism that import of power generation equipment will adversely affect the BHEL ;

(b) if so, Government's reaction thereto; and

(c) the comparative order book position of BHEL, as against its annual capacity for the next five years ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (KUMARI ABHA MAITI) : (a) Yes, Sir.

(b) There is a ban on the import of power generation equipment. Relaxation from it is granted only in those few cases where the equipment is not within the manufacturing range of BHEL or where the deliveries are unduly long.